

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राग, आर.ए.एस

रीडर/2025/1646

दिनांक - 22.04.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चेतनराम पुत्र
लुम्बाराम 2 नथु देवी
पत्नि लुम्बाराम जाति
मेघवाल निवासी
मातासर तहसील
ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 चूनाराम 2 राणाराम 3 मोहनलाल पिसरान पूंजाराम 4 पारु
देवी पत्नी पूंजाराम 5 हीराराम पुत्र जोधाराम जाति सुथार 6
राउराम 7 संतोष कुमार पिसरान देरामाराम 8. तुलसाराम पुत्र
तोगाराम 9 जाति मेघवाल निवासी मातासर 10 घमण्डाराम पुत्र
मालाराम 11 चुतराराम 12 मूलाराम 13 रेखाराम पिसरान
गोरखाराम 14 तुलसी पत्नी किशनाराम 15 रूपाराम पुत्र
किशनाराम जाति जाट निवासी मातासर 16 असरत कंवर पत्नी
छैलसिंह 17 मेवसिंह 18 रामसिंह पिसरान छैलसिंह 19 लूणसिंह
पुत्र प्रेमसिंह 20 लेहर कंवर पत्नी गोरधनसिंह 21 बच्चनसिंह पुत्र
गोरधनसिंह 22 गने कंवर पत्नि स्वरूपसिंह 23 किस्मतसिंह 24
श्रवणसिंह पिसरान स्वरूपसिंह 25 चन्द्र कंवर पत्नि रूपसिंह 26
देवीसिंह 27 जसवन्तसिंह 28 सुरेन्द्रसिंह पिसरान रूपसिंह जाति
राजपूत निवासी मातासर तहसील ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 496/2023

दिनांक- 03/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 913/781 रकबा 2.9137 हेक्टर व खसरा संख्या 916/781
रकबा 03.7636 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/1647 - 1650

दिनांक- 22.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चेतनराम पुत्र लुम्बाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चूनाराम पुत्र पूंजाराम वगैराह जाति सुथार निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।




उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर